तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03-11-2020	**एकलपीठ** **डॉ. श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य** **उपस्थितः** श्री अजीत सिंह अधिवक्ता प्रार्थी। श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता, अप्रार्थी **–: आदेश :–** यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा प्रकरण संख्या 84/2005 में पारित निर्णय दिनांक 17–4–2006 के प्रस्तुत की गई है। 2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या–1/वादी ने एक राजस्व वाद वास्ते उद्घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0), सवाई माधोपुर के समक्ष प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया कि विवादित भूमि साबिक खसरा नंबर 127, 129 एवं 140 जिसके हाल खसरा नंबर 285, 286, 288, 511 512, 518 लगायत 527 कुल किता 15 कुल रकबा 1.62 हैक्टर ग्राम रतनपुरा में स्थित है जो अप्रार्थी संख्या–1/वादी को आवंटनशुदा आराजीयात होकर वादी की खातेदारी की है। अप्रार्थी संख्या–1/वादी ने इस आराजी को अपने पुत्रान के मध्य काश्त की सुविधा के लिए बांट रखा है। हाल प्रार्थीगण, अप्रार्थी संख्या 1 के भाई व भतीजे है जो जबरन आराजी को छीनना चाहते है। अतः उनके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रतिवादी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी संख्या 1/वादी के कथनों से इन्कार किया और विवादित आराजी को जगन्नाथ के द्वारा मोती के पक्ष में आवंटन करवाना बताया और आराजी को जगन्नाथ के द्वारा अपने सभी पुत्रान में बराबर बांटना कहा तथा पुख्ता चाह सभी की सम्मिलित होना कहा है। इसके साथ ही	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जवाब में विवादित भूमि व कुंआ व इंजन के संबंध में राजीनामा भी 10/- रूपये के स्टॉप पर लिखा गया है, अंकन किया गया है। विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 03-9-2005 द्वारा अप्रार्थी संख्या-1 द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण को विवादित आराजियात के कब्जे काश्त में किसी प्रकार मजाहमत व मदाख्लत न करने के लिए पाबंद कर दिया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर के समक्ष अपील पेश की, जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 17-4-2006 द्वारा अपील खारिज कर दी, जिसके विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है। 3. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को निगरानी प्रार्थना पत्र पर सुना गया। 4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने निगरानी-मीमो में वर्णित कथनों को दोहराते हुए बताया कि विवादित आराजियात प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के पिता श्री जगन्नाथ की कदीमी काश्तकारी की आराजियात है। बरवक्त आवंटन जगन्नाथ के खाते में पर्याप्त भूमि होने के करण भूमि आवंटित नहीं हो सकती थी इसलिए बड़े पुत्र मोती के नाम संवत 2031 में विवादित आराजी आवंटित करवा दी गई। तत्पश्चात जगन्नाथ ने मौके पर पांचो पुत्रों को ले जाकर विवादित भूमि बांट दी। तब से पांचो पुत्र अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है। उनका कथन है कि पक्षकारान के मध्य ग्रामवासियान के समक्ष राजीनामे अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 ने 10/- रूपये के स्टाम्प पर स्वयं उक्त तथ्य स्वीकार किया है। अप्रार्थी संख्या 1 का विवादित आराजियात के 1/5 भाग पर कब्जा है, शेष आराजियात पर प्रार्थीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 उक्त पुश्तैनी काश्तकारी की आराजियात के आवंटन आदेश की आड़ में वह रहन, बेचान, मुंतकिल करने पर सख्त आमादा है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अतः निगरानी स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17-4-2006 एवं सहायक कलक्टर, सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03-9-2005 निरस्त किये जावे। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने आर.एल.डब्ल्यू 2003 (3) (राज) पेज 1891, 2019 (26) आर.बी.जे. पेज 414, 1973 आर.आर.डी. पेज 184, 2014 (21) आर.बी.जे. पेज 318, 1999 (3) आरएलडब्ल्यू पेज 394, 1988 आर.आर.डी. पेज 17, 1996 आर.आर.डी. पेज 337 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये। 5. इसके जवाब में अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि विवादित आराजियात अप्रार्थी संख्या-1 मोती को आवंटन शुदा आराजी है जिसका रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध है। विवादित आराजी पर अप्रार्थी संख्या-1 काबिज काश्त चला आ रहा है और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अनुसार एक खातेदार काश्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने समवर्ती निर्णय पारित किये है। अतः निगरानी खारिज फरमाई जावे। 6. हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया। 7. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात जमाबंदी संवत 2059 से 2062 में विवादित आराजी अप्रार्थी संख्या 1 मोती के नाम के खातेदारी में दर्ज है। विवादित आराजी के आवंटन आदेश दिनांक 29-6-68 के आधार पर मोती पुत्र जगन्नाथ के नाम नामांतरकरण संख्या 37 गैर खातेदारी दर्ज किया गया है। इन सबको दृष्टिगत रखते हुए विचारण न्यायालय ने प्रकरण प्रथमदृष्टया अप्रार्थी संख्या-1 के पक्ष में बखूबी साबित होना माना है तथा सुविधा का संतुलन	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भी उसी के पक्ष में माना है। विचारण न्यायालय ने प्रार्थीगण को विवादित आराजी में किसी प्रकार की मजाहमत व मदालख्त न करने के लिए पाबंद किया है। 8. न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर ने भी आक्षेपित निर्णय में यह माना है कि धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार खातेदार के साथ ही कब्जे का प्रिजम्पशन है, जब तक कि अन्यथा साक्ष्य से इसे सिद्ध नहीं कर दिया जावे। 9. हमारे विनम्र मत में जिस राजीनामा 10/- के संबंध में प्रार्थीगण अपना कब्जा होना बता रहे है वह एक अपंजीकृत दस्तावेज है जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जा सकता। अप्रार्थी संख्या 1 खातेदार काश्तकार होने से उसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने से अपूरणीय क्षति भी उसको ही होगी। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय है जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है 10. फलस्वरूप निगरानी एतद्द्वारा खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17-4-2006 एवं सहायक कलक्टर (मु0), सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03-9-2005 बहाल रखे जाते हे। 11. पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ. श्रवणकुमार बुनकर)** **सदस्य**	